न्यायालयः ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 10/2024

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 10/2024

सी०एन०आर० नंबर – RJJH140000272024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 269/2023, मुकुंदगढ़

अपराध अंतर्गत धारा – 279, 304 ए भा.द.स.

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री सुबोध कुमार
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	चतुर्भुज शर्मा पुत्र काशीराम, उम्र 29 वर्ष, निवासी भानगढ़ पुलिस थाना जुई, जिला भिवानी, हरियाणा।
अधिवक्तागण अभियुक्त	श्री तेजपाल सिंह दूत व श्री विकास सैनी
अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	19–12–2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	20–12–2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	16–01–2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	16–01–2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	16–03–2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	-------
निर्णय दिनांक	05–05–2026
दण्डादेश की दिनांक	-------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्वेश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में

							व्यतीत की गई अवधि
01	चतुर्भुज शर्मा	------	------	279, 304 ए भा.द.स.	दोषमुक्त	-------	--------------

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	सुबोध कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	सुरेश कुमार	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 3	बजरंग लाल	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 4	राजेंद्र कुमार	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 5	मुखराम	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 6	सकेंद्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 7	मुकेश कुमार	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 8	कमलेश	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 9	पुनित	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 10	श्री निवास	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 11	सुमित	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 12	सतवीर	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 13	डॉ. चंद्रशेखर शर्मा	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 14	नवाब खां	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 15	दिलबाग	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 16	रमेश कुमार	स्वतंत्र गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी.04	फर्द पंचायतनामा व सूरत हाल लाश
05	प्रदर्श पी.05	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
06	प्रदर्श पी.06	फर्द जप्ती असल कागजात वाहन डीएल 08 सीएसी 1852
07	प्रदर्श पी.07	फर्द जप्ती वाहन डीएल 08 सीएसी 1852
08	प्रदर्श पी.08	फर्द जप्ती मूल आरसी वाहन आरजे डीएल 08 सीएसी 1852
09	प्रदर्श पी.09	फर्द जप्ती मूल आरसी वाहन आरजे डीएल 08 सीएसी 1852
10	प्रदर्श पी.10	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
11	प्रदर्श पी.11	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
--		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
--		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	

01– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि 20.12.2023 को परिवादी श्री सुबोध कुमार महरिया पुत्र श्री श्रवण कुमार महरिया, उम्र 39 साल, निवासी वार्ड नंबर 10

मंडावा पुलिस थाना मंडावा, जिला झुंझुनूं मय मृतक अंकित पुत्र जयप्रकाश के भाई संजीव कुमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09 मंडावा थाना, जिला झुंझुनूं के उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी का साला रंजन रोलन पुत्र रामप्रताप रोल, उम्र 28 वर्ष, निवासी जांटवाली पुलिस थाना मुकुंदगढ़ जो कानोडिया कॉलेज मुकुंदगढ़ से बीएड का छात्र है। दिनांक 19.12.2023 को उसका साला रंजन व उसका साथी अंकित निवीस श्योपुरा ढाका का बास पुलिस थाना मंडावा जो कि उसका बीएड साथी है। उक्त दोनों उसके साला की मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 एसजे 8371 को लेकर कोका बास स्कूल की तरफ अपने इटर्नशिप के दस्तावेज जमा करवाने गये थे। जब वे वापस लौट रहे थे तो रंजन मोटरसाइकिल चला रहा था और उसका साथी अंकित पीछे बैठा था। जब वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुकुंदगढ़ मंडी में पहुंचे तो समय करीब 07.10 पीएम की बात है। वे जैसे ही पोरवाल सर्किल के पास पहुंचे तो पीछे से तेज गति व लापरवाही से आ रहे एक ट्रोला नंबर जीजे 12 बीवाई 0241 ने उनको चपेट में ले लिया तथा उपर से कुचलते हुए निकल गया। इस कारण उन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। ये घटना उक्त ट्रोला चालक व उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर कारित की गयी। अतः रिपोर्ट पेशकर निवेदन है कि उक्त वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें, इत्यादि......।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–03 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04– अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब

किये जाने का निवेदन किया।

06– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में वाहन व वाहन चालक की पहचान, वाहन की तेज गति व लापरवाही प्रमाणित नहीं हो पाई है। अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

01– आया अभियुक्त ने दिनांक 19.12.2023 को समय करीब 07.15 बजे पीएम या उसके लगभग वाके मौजा मुकुंदगढ़ मंडी के पोरवाल सर्किल के रास्ते पर पीछे से तेज गति व लापरवाही से एक ट्रोला जिसके नंबर जीजे 12 बीवाई 0241 वाहन पर सवार होकर उसको उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकाटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर कर दुर्घटना कारित कर दी। जिससे इस दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप मृतक रंजन व मृतक अंकित की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

02– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आगे **अधिनियम, 1872** से उल्लेखित) की धारा 102 के प्रावधानानुसार, उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने का भारी अभियोजन पर है। आपराधिक विधि के मुख्य सिद्धांत "Presumption of innocence" के कारण अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है।

09– प्रकरण में परिवादी की मुख्य परीक्षा की साक्ष्य पर गौर करे तो **पी०डब्ल्यू–01 सुबोध कुमार** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 19.12.2023 को उसका साला रंजन और उसके साथ अंकित जो कानोडिया कॉलेज मुकुंदगढ़ में बीएड के छात्र थे। उस दिन उक्त दोनों लोग बीएड की इंटरशिप के कागज को जमा कराने कोका की ढाणी गये हुए थे। अपनी मोटरसाइकिल जिसके नंबर आरजे 18 एस जे 8371 थे। उससे आ रहे थे। मोटरसाइकिल उसका साला रंजन चला रहा था तथा अंकित पीछे बैठा हुआ था। तब करीब सवा 7 बजे शाम को मुकुंदगढ़ मंडी के पोरवाल सर्किल के पास पहुंचे तो पीछे से

टक्कर मारकर व रंजन तथा अंकित को कुचलकर निकल गया। जिसके कारण रंजन व अंकित की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। फिर उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में पेश की थी, जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट देते समय उसके साथ अंकित का भाई संजीव कुमार साथ गया था। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्षा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक रंजन रोलन का फर्द पंचायतनामा उसके सामने पुलिस ने बनाया था, जो प्रदर्श पी 04 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम रंजन की लाश उसको सुपुर्द कर दी थी। जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल नंबर आरज 18 एसजे 8371 का फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी तैयार कर मोटरसाइकिल गवाह को सुपुर्द कर दी थी, जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि दिनांक 19.12.2023 को सांय 07.10 बजे वह अपने घर पर था। यह बात सही है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। यह सही है कि वह मौके पर नहीं था। इसलिए वह नहीं बता सकता कि ट्रोला किस स्पीड से चल रहा था और मोटरसाइकिल किस स्पीड से चल रही थी। यह सही है कि वह मौके पर नहीं था। इसलिए यह भी नहीं बतासकता कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई थी। फिर कहा कि लापरवाही साफ–साफ दिख रही थी कि दुर्घटना ट्रोले की लापरवाही से हुई थी। ट्रोला अपनी डिवाइडर की पटटी से 15 फीट दूरी पर चल रहा था। उसने ट्रोले को थाने में देखा था। उवे पुलिस के द्वारा बताया गया था कि उक्त ट्रोले से ही एक्सीडेंट हुइआ था। प्रदर्श पी 01 एक्सीडेंट होने के दूसरे रोज पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में दर्ज करवायी थी। वह पुलिस के साथ मौके मुआयने के लिए घटनास्थल पर गया था। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 उसके सामने बनाया था। उसके प्रदर्श पी 03 पर सुरेश जी व बजरंग लाल जी ने हस्ताक्षर किए थे। पुलिस ने जिस मोटरसाइकिल का फर्द निरीक्षण किया था उसके चेजीस नंबर और इंजन नंबर उसे नहीं पता।

10– इस संबंध में गवाह **पी०डब्ल्यू–02 सुरेश कुमार** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 20.12.2023 को सरकारी अस्पताल मुकुंदगढ़ में रंजन रोलन का पंचायतनामा तैयार किया, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी रोज रंजन का पोस्टमार्टम तैयार कर उसकी लाश को सुपुर्द किया था। जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 03 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने दिनांक 21.12.2023 को मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 एस जे 8371 का निरीक्षण व सुपुर्दगी पुलिस ने तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर सी से डी

उसके हस्ताक्षर हैं। परंतु आगे अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसे पुलिस वालों ने थाने पर बुलाया था। थाने पर उसके एक जगह हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिसवालों ने क्या लिखा पढ़ी करी उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी 04 व पी 06 में पुलिस ने क्या लिखा उसे नहीं पता।

11– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–03 बजरंग लाल** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने दिनांक 20.12.2023 को मुकुंदगढ़ अस्पताल में रंजन रोलन का पंचायतनामा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.12.2023 को उसके सामने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 एसजे 8371 का फर्द निरीक्षण व अस्थाई सुपुर्दगी तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 06 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बाद में मोटरसाइकिल को सुबोध कुमार को सुपुर्द कर दिया था।परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसे पुलिस वालों ने थाने पर बुलाया था। थाने पर उसके एक जगह हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिसवालों ने क्या लिखा पढ़ी करी उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी 04 व पी 06 में पुलिस ने क्या लिखा उसे नहीं पता।

12– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–04 राजेंद्र कुमार** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने दिनांक 20.12.2023 को मृतक रंजन रोलन का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 04 है। जिस पर जी से एच उसके रूप में उसके हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। पुलिस ने प्रदर्श पी 04 पर उसके किस बात के हस्ताक्षर करवाये थे। उसे पता नहीं।

13– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–05 मुखराम** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 20.12.2023 को सीएचसी मुकुंदगढ़ में मृतक रंजन रोलन का पंचनामा तैयार किया। फर्द पंचनामा एक्स पी 04 है, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। बाद पोस्टमार्टम रंजन रोलन की लाश को सुबोध कुमार को सुपुर्द कर दिया था। जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश उसके सामने तैयार हुई, जो एक्स पी 05 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि पुलिस वालों ने उसे थाने में बुलाया था। थाने में ही हस्ताक्षर करवाये। पुलिस ने एक्स पी 02 में क्या लिखा, पता नहीं। एक्स पी 05 में भी पुलिस ने क्या लिखा पता नहीं।

14– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–06 सकेंद्र सिंह** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 20.12.2023 को पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में पुलिस एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस रोज वह आईसी थाना भी था। उस रोज प्रार्थी

सुबोध कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर उसके समक्ष पेश की। जिस पर मुकदमा नंबर 269/2023 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान उसने अपने जिम्मे किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी परिवादी सुबोध के हस्ताक्षर है सी से डी संजीव के हस्ताक्षर है तथा ई से ए उसके हस्ताक्षर है। जी से एच कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी परिवादी के हस्ताक्षर है, सी से डी संजीव के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाह ने मौत बीरान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहों तथा जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। आई से जे पुस्त पर हालात मोका अंकित है। दौराने अनुसंधान गवाह ने सुबोध कुमार, संजीव कुमार, पुनित पूनिया, मुकेष कुमार, निवास, राकेष कुमार, सुमित कुमार के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए। मृतक रंजन रोलन का फर्द पंयाचतनामा तैयार करवारक शामिल पत्रावली किया गया, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आइ से जे गवाहों तथा के से एल गवाह के हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम रंजन रोलन की लाश को सुबोध को सुपुर्द किया। रसीद सुपुर्दगी लाष प्रदर्ष पी 05 है, जिस पर ए से बी सुबोध के तथा सी से डी, ई से एफ गवाहों के तथा जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। मृतक अंकित का फर्द पंचायतनामा तैयार करवारक शामिल पत्रावली किया गया। जो प्रदर्श पी 07 है। ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे गवाहों के तथा के से एल गवाह के हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम अंकित की लाष को जयप्रकाश को सुपुर्द किया। जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 08 है, जिस पर ए से बी जयप्रकाश के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृतक रंजन रोलन व अंकित कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाकर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी 09 व पी 10 है। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल नंबर आरजे 18 एसजे 8371 का निरीक्षण व अस्थायी सुपुर्दगी तैयार की गयी जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। दुर्घटनाकारित ट्रोला नंबर जी जे 12 बी वाई 0241 को जरिये फर्द गवाह द्वारा जपत करके फर्द जप्ती तैयार की गयी थी, जो प्रदर्ष पी 11 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाह के तथा जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। उक्त वाहन की मूल आरसी, इंष्योरेंस व डीएल चालक का चतुभुर्ज शर्मा का गवाह द्वारा जप्त किया गया। जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाह के तथा जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। दुघटनाकारित वाहन के आरसी मालिक को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर उससे जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्ष पी 13 है, जिस पर ए से बी उसका व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। वाहन स्वामी ने दुर्घटना वाले दिन

ही अपने वाहन पर चालक चतुभुर्ज का होना बताया। अभियुक्त चतुभुर्ज को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर उसका जवाब प्राप्त किया गया, जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। दुर्घटनाकारित वाहन ट्रोला जी 12 बी वाई 0241 का मैकेनिकल मुआयना नवाब खां एचसी से करवाकर रिपोर्ट तैयार करवाकर शामिल की गयी जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट तथा सी से डी नवाब खां के हस्ताक्षर तथा ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से गवाह ने चतुभुर्ज शर्मा के विरूद्ध धारा 279, 304 ए का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने उक्त आरोप के खिलाफ उक्त धाराओं का आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था। उस समय वह घटनास्थल पर नहीं गया था। दूसरे दिन घटनास्थल पर गया था। यह सही है कि रिपोर्ट तहरीर उसके समक्ष पेश हुई है। यह सही है कि दिनांक 20.12.2023 को वह जब मौके पर गया था तब ट्रोला मौजूद नहीं था। शाम को जिसकी डीओ टयूटी थी। वह मौके से ट्रोले को सुरक्षात हेतु थाने में लाकर खड़ा कर दिया था। जो अधिकारी ने ट्रोला लेकर आया था वह मौके से लेकर आया था। यह सही है कि जिस कर्मचारी या अधिकारी ने ट्रोला मौके से लेकर आये थे। उनके उसने बयान नहीं लिए थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में ट्रोले के चालक का नाम दर्ज नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में यह नहीं लिखा हुइआ है कि ट्रोला भरा हुआ था या नहीं। यह सही है कि दौनों मृतक की उसने मोबाईल डिटेल नहीं निकलवायी। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल का रजिस्टर मालिक कौन था, पता नहीं और इस संबंध में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। यह सही है कि ट्रोला अपनी सही दिशा में लक्ष्मणगढ़ से मुकुंदगढ़ की तरफ आ रहा था। यह सही है कि रोड के बीच में डिवाईडर बना हुआ है। यह सही है कि जहां उसने दुर्घटना होना बताया है वहां पर चौराहा है। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 में श्याम इंटरप्राईजेज, पारले एजेंसी आदि स्टोर नहीं दिखाये गये। प्राईवेट बस का बस स्टेंड घटनास्थल से 50 मीटर दूर पश्चिम दिशा में है तथा मंडी चौराहा जहां झुंझुनूं सीकर जाने वाली बसों को स्टेंड है। वह पूर्व दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सही है कि उसने नवीन पोरवाल, वसीम साईकिल स्टोर, पान की दुकान वाले के बयान नहीं लिए, क्योंकि उस समय वे दुकानें बंद थी। यह सही है कि उसने थाने में सुरक्षात खड़े ट्रोले को मुकदमा में मतलूब होने के कारण जप्त किया था।

15– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–07 मुकेश कुमार** स्वीकार करता है कि उसकी मुकुंदगढ़ मंडी पोरवाल सर्किल पर श्याम इंटरप्राइजेज नाम से दुकान है। दिनांक 19.12.2023 को शाम के 07.10 मिनट के आसपास की बात है।

वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वे पोरवाल सर्किल के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहा एक ट्रोला जिसके नंबर जी जे 12 बी वाई आया। उसके चालक ने अपने वाहन को तेजगति और लापरवाही से चलाते हुए पीछे से आकर मोटरसाइकिल जिस पर दो लड़के जा रहे थे। उनके टक्कर मारकर एक्सीडेंट करते हुए उनको घसीटते हुए और उपर से कुचलते हुए निकल गया। एक्सीडेंट के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। मौके पर पुलिस आ गयी थी। पुलिस दो लड़कों के शव को अपने साथ ले गयी। बाद में पता चला कि मृतक रंजन रोलन निवासी जांटवाली और अंकित जाट निवासी श्योपुरा ढाका का बास के थे। ट्रोला आगे जाकर मंडी चौराहे पर रोक लिया था। जिस पर गवाह, पुनिता, निवास, रमेश और सुमित वे चतुर्भुज शर्मा निवासी भानगढ़, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला था। उक्त घटना में गवाह के अलावा पुनित, निवास, रमेश और सुमित ने देखी थी। उक्त दुर्घटना ट्रोला जिसके नंबर जी जे 12 बी वाई 0241 के चालक चतुर्भुज के द्वारा तेजगति और लापरवाही से चलाने से हुई थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि पोरवाल सर्किल से उसकी दुकान 50 फीट की दूरी पर है। उसकी दुकान से पोरवाल सर्किल रोड के बीच में है। उसकी दुकान के पास कोई पान की दुकान नहीं है। यह सही है कि उसकी दुकान के सटकर फोटो स्टूडियो की भी दुकान नहीं है। नवनी पोरवाल की दुकान उसकी दुकान से 20–25 फिट दूरी पर है। एक्सीडेंट के समय वह दुकान के बाहर खड़ा था। एक्सीडेंट सड़क के किसी दिशा में हुआ उसे पता नहीं। फिर कहा कि राईट साइड में हुआ था। ट्रक लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आ रहा था। ट्रक में एक आदमी था। यह सही है कि मोटराइकिल और ट्रक दौनों अपनी सही दिशा में चल रहे थे। वह उन दोनों लड़कों को पहले से नहीं जानता था। मोटरसाइकिल 20 की स्पीड में चल रही थी। वह पैमाने से नहीं बता सकता कि ट्रक की स्पीड़ कितनी थी, लेकिन तेजगति से था। ट्रोले के ड्राइवर को उसने नाम नहीं पूछा था। उसने ट्रोले चालक का आधार या पहचान पत्र नहीं देखा। हमने साथ में मिलकर नाम पूछा था। ड्राईवर ने अपना नाम गलत रूप से चतुर्भुज बता दिया हो तो उसे पता नहीं। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। उसके साथ घटनास्थल पर निवास, सुमित, रमेश, पुनित गये थे। उसने मोटरसाइकिल के नंबर नहीं देखे थे। ट्रोले के नंबर उसे ट्रक ड्राईवर ने बताये थे। दिनांक 19.12.2023 को ट्रोले के चालक ने उसे नंबर बताये थे और चालक के बताये अनुसार ही उसने पुलिस को नंबर बताये थे। उसने नंबर ही देखे, नंबर किस रंग से लिखे हुए उसे नहीं पता।

16– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–08 कमलेश** स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 20.12.2023 को मृतक अंकित कुमार का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है, जिस पर सी से डी उसके

हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। वह दिनांक 20.12.2023 को थाने में गया था। जब वह थाने में गया था तब पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। जिस कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। वह कागज लिखा हुआ था। उसमें पंचनामे के बारे में लिखा हुआ था। अंकित कुमार श्योपुर का था। वह अंकित को जानता था।

17– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोनज पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–09 पुनित** स्वीकार करता है कि उसकी मुकुंदगढ़ मंडी पारलेजी की एंजेसी है। दिनांक 19.12.2023 को शाम को सवा सात बजे की बात है। वह सप्लाई करने के लिए गया था। वह पोरवाल सर्किल लक्ष्मणगढ़ रोड गया हुआ था। एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वे पोरवाल सर्किल के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहा एक ट्रोला जिसके नंबर जी जे 12 बी वाई 0241 आया। उसके चालक ने अपने वाहन को तेजगति और लापरवाही से चलाते हुए पीछे से आकर मोटरसाइकिल जिस पर दो लड़के जा रहे थे। उनके टक्कर मारकर एक्सीडेंट करते हुए उनको घसीटते हुए और उपर से कुचलते हुए निकल गया। एक्सीडेंट के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। मौके पर पुलिस आ गयी थी। पुलिस दो लड़कों के शव को अपने साथ ले गयी। बाद में पता चला कि मृतक रंजन रोलन निवासी जांटवाली और अंकित जाट निवासी श्योपुरा ढाका का बास के थे। ट्रोला आगे जाकर मंडी चौराहे पर रोक लिया था। जिस पर गवाह, मुकेश, निवास, रमेश और सुमित वे चतुर्भुज शर्मा निवासी भानगढ़, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला था। उक्त घटना में गवाह के अलावा गवाह, मुकेष, निवास, रमेष और सुमित ने देखी थी। उक्त र्दुघटना ट्रोला जिसके नंबर जी जे 12 बी वाई 0241 के चालक चतुर्भुज के द्वारा तेजगति और लापरवाही से चलाने से हुई थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि पारले की एजेंसी रेलवे स्टेशन रोड के पास में है। पोरवाल सर्किल के पास उसका गोदाम है, लेकिन वह उसे रोज काम में नहीं लेता। लेकिन गोदाम पर दिन में एक या दो बार आता है। उसका गोदाम सड़क के उत्तर दिशा में है। पोरवाल सर्किल से उसका गोदाम तीस मीटर की दूरी पर है। यह सही है कि घटना के समय वह गोदाम पर नहीं था। यह सही है कि मोटरसाइकिल लक्ष्मणगढ़ से मुकुंदगढ़ की तरफ आ रही थी। यह भी सही है कि ट्रोला भी लक्ष्मणगढ़ से मुकुंदगढ़ की तरफ आ रहा था। यह सही है कि दोनों अपनी सही दिशा में चल रहे थे। मोटरसाइकिल किनारे से कितनी अंदर चल रही थी वह नहीं बता सकता। वह मोटरसाइकित और ट्रोले की स्पीड नहीं बता सकता। लेकिन हॉर्न मारते हुए तेजगति से आ रहा था। यह सही है कि अगर किसी वाहन के आगे को पशु या वाहन आता है तो हॉर्न् बजाया जाता है, लेकिन ट्रोला चालक प्रेशर हॉर्न मार रहा था। उसने ट्रोले में एक

आदमी देखा था और कोई हो तो वह नहीं बता सकता। ट्रोले में येलो कलर के कटटे भरे हुए थे। पोरवाल सर्किल पर ट्रोला नहीं रूका था। उसने एक्सीडेंट होते ही रंजन को नहीं पहचाना था। रंजन को एक्सीडेंट के बाद लगभग आधे घंटे बाद पता चला था। जब वे झुंझुनूं रोड पर गये थे तब ट्रोले में कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक व्यक्ति नीचे देखा था। यह सही है कि उसने ट्रोले के केबिन को नहीं खोला इसलिए वह नहीं बता सकता कि ट्रोले में कितने आदमी थे। वह मौके पर अकेला ही गया था। मौके पर उसके अलावा रमेश, निवास, सुमित और पांच–सात लोग अन्य और थे। ट्रोले के चालक का नाम व पता उसने और निवास ने पूछा था। उसके पिताजी का नाम नहीं पूछा। उसने चालक का पहचान पत्र नहीं देखा था। उसने बयानों में साइन किए थे। यह सही है कि रंजन उसका जानकार था। इसलिए वह बयान देने आया है। यदि और कोई होता तो वह बयान नहीं देने आता। मोटरसाइकिल घटना के समय कौन चला रहा था उसे ध्यान में नहीं है। अंकित कुमार उसका जान पहचान का नहीं है। यदि अंकित कुमार नशे का आदि हो तो उसे पता नहीं। वह यह नहीं बता सकता कि अंकित कुमार मोटरसाइकिल चला रहा हो और असंतुलित होकर रोड के बीच आ गया हो।

18– इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 10, पीडबल्यू 11 व पीडब्ल्यू 12 हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार की घटना से देखने से इंकार करते हैं तथा हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

19– उक्त गवाहन के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–13 डॉ. चंद्रशेखर** स्वीकार करता है कि गवाह दिनांक 20.12.2023 को सीएचसी मुकुंदगढ़ में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज वह मृतक रंजन रोलन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 09 है, जिस पर ए से बी मृत्यु के संबंध में उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृतक की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में आयी चोटों के कारण हुई थी। उस की राय में मृतक की मृत्यु का कारण सिर व शरीर पर आयी गंभीर चोट व मल्टीप्ल फ्रेक्चर से अतिरिक्त रक्तस्त्राव होना है। अतिरिक्त रक्तस्त्राव होने की वजह से हाइपोवाल्यूमिक शॉक के कारण जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए र्प्याप्त थी। उसी रोज मृतक अंकित कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी मृत्यु के संबंध में उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर मृतक की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में आयी चोटों के कारण हुई थी। उसकी राय में मृतक की मृत्यु का कारण सिर व शरीर पर आयी चोट व मल्टीपल फ्रेक्चर से अतिरिक्त रक्तस्त्राव होना बताया है। अतिरिक्त रक्तस्त्राव होने की वजह से हाइपोवाल्यूमिक शॉक के कारण। जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए र्प्याप्त थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। किस

वाहन से कैसे, कब, कहां पर एक्सीडेंट हुआ। वह नहीं बता सकता। मृतक के चोट एक्सीडेंट से आई थी ये उसने पंचनामे के आधार पर बताया था।

20– उक्त गवाहन के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–14 नवाब खां** स्वीकार करता है कि वह दिनांक 21.12.2023 को पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में पुलिस कांस्टेबल चालक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने मुकदमा नंबर 269/2023 अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए आईपीसी में जप्तशुदा दुर्घटना कारित वाहन ट्रोला नंबर जी जे 12 जी वाई 0241 का मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट तैयार की थी। जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वाहन के कंडक्टर की तरफ बंपर के रगड़क के निशान थे व वाहन के पीछे कंडक्टर के तरफ टायर के खून लगा हुआ था। वाहन को चलाकर देखा गया तो वाहन के क्रेच, ब्रेक, स्टियरिंग सही काम कर रहे थे। वाहन चालू हालत में था, वाहन में किसी प्रकार की कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसने ट्रोले का रजिस्ट्रेशन देखा था और चेचिस नंबर और इंजन नंबर मिलाया था जो मुताबिक रजिस्ट्रेशन के थे। उसने रजिस्टेशन अनुसंधान अधिकारी के पास देखा था। यह सही है कि वाहन के किसी पशु के टक्कर लगाने से भी खून के धब्बे लग सकते हैं, ट्रोले के खून के धब्बे लगे हुए थे, लेकिन किसी आदमी के थे या पशु के थे वह नहीं बता सकता। खून के धब्बे कितने टाईम पहले के थे। वह यह नहीं बता सकता। ट्रक के बंपर के आगे रगड़क के निशान लगे हुए थे जो ताजा थे। रगड़क के निशान किसी दीवार या पेड़ के टकराने से भी आ सकते हैं।

21– इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 15 व पीडब्ल्यू 16 हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार की घटना से देखने से इंकार करते हैं तथा हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

22– चूंकि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रथम बिन्दू यह है कि क्या सुसंगत दिवस समय व स्थान पर आरोपी **चतुर्भुज शर्मा** प्रश्नगत वाहन **ट्रोला जी 12 बी.वाई. 0241** का चालक था? जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य–आर.एल.आर. 1990(2) राज. हाईकोर्ट पेज नंबर–726** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, तत्पश्चात ही यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर गौर करें तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित करना है कि बरवक्त घटना के समय व दिनांक को अभियुक्त वाहन ट्रोला को चला रहा हो। जिसने अपनी उपेक्षा व लापरवाही से वाहन को चलाकर दुर्घटना

कारित की हो। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर कुल 16 गवाह हस्तगत प्रकरण में परीक्षित करवाये गए हैं। हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 07 व पीडब्ल्यू 09 स्वयं को घटना का चश्मदीद साक्षी बताते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 07 ने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया है कि एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के लक्ष्मणगढ़ की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वे पोरवाल सर्किल के पास पहुंचे तो पीछे की तरफ से एक ट्रोला आया और उसके चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए पीछे से आकर मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। उपरोक्त वाहन का चालक मृतकों को घसीटते हुए उनको कुचलते हुए उनके उपर से निकल गया। उपरोक्त गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि यह सही है कि मोटरसाइकिल और ट्रक दोनों अपनी सही दिशा में चल रहे थे। एक्सीडेंट सड़क के किस दिशा में हुआ उसे नहीं पता। वह नहीं बता सकता की ट्रोले की स्पीड कितनी थी, लेकिन ट्रोला तेजगति में था। आगे गवाह ने कथन किया है कि उसने वाहन चालक का नाम नहीं पूछा, ना ही उसने वाहन चालक का कोई पहचान पत्र देखा। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 07 हस्तगत प्रकरण में घटना की ताईद करता है। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 09 घटना का चश्मदीद साक्षी है। जिसने गवाह पीडब्ल्यू 07 के कथनों की ताईद की है तथा एक्सीडेंट होते हुए देखना स्वीकार किया है। गवाह पीडब्ल्यू 09 ने दौराने जिरह कथन किया है कि यह सही है कि घटना के समय वह गोदाम पर नहीं था। यह भी सही है कि दोनों वाहन अपनी सही दिशा में चल रहे थे। परंतु गवाह यह बताने में असमर्थ रहा है कि मोटरसाइकिल व ट्रोले की स्पीड कितनी थी। उसने ट्रोले में एक आदमी देखा था। गवाह ने आगे कथन किया है कि ट्रोले के चालक का नाम उसने और श्री निवास ने पूछा था। हस्तगत प्रकरण में दोनों गवाह एक–दूसरे के कथनों की ताईद करते हैं, परंतु अभियुक्त की पहचान करने में दोनों ही गवाह असफल रहे हैं कि बरवक्त घटना अभियुक्त चतुर्भुज शर्मा ही वाहन ट्रोला का चालक रहा हो। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अन्य गवाहान पीडब्ल्यू 01 ता 05 व पीडब्ल्यू 08 बरवक्त घटना घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं बताते हैं तथा घटना देखने से इंकार करते हैं। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 10, पीडब्ल्यू 11, पीडब्ल्यू 12, पीडब्ल्यू 15 व पीडब्ल्यू 16 हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा किसी प्रकार की घटना को देखने से इंकार करते हैं। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 06 अनुसंधान अधिकारी है जिसने दौराने जिरह कथन किया है कि ट्रोला अपनी सही दिशा में आ रहा था तथा बरवक्त घटना ट्रोला चालक की उपेक्षा व लापरवाही को साबित करने में अनुसंधान अधिकारी असफल रहा है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन अधिकारी व अनुसंधान अधिकारी द्वारा चतुर्भुज शर्मा की पहचान अभियुक्त के रूप में नहीं करवायी गयी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में कहीं भी अभियुक्त द्वारा वाहन को चलाये जाने के तथ्य को

साबित नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह पीडब्ल्यू 07 व पीडब्ल्यू 09 से या अन्य किसी स्वतंत्र गवाह से अभियुक्त की पहचान नहीं करवायी गयी। इस प्रकार उक्त सभी गवाहान बरवक्त घटना अभियुक्त की पहचान करने में असफल रहे हैं तथा किसी भी गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं हुआ है कि बरवक्त घटना अभियुक्त ही वाहन ट्रोला का चालक रहा हो। उपरोक्त दुर्घटना से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि उपरोक्त दुर्घटना में चालक वाहन को उपेक्षा व लापरवाही से नहीं चला रहा था। अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में अपने साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाया जा रहा हो। अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह नियम है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने में असफल रहे हैं कि बरवक्त घटना वाहन ट्रोला चालक अभियुक्त रहा हो और उसकी तेज गति व लापरवाही बरतने के तदुपरांत घटना घटित हुई हो। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल प्रकट हुआ है।

23– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू नकारात्मक रूप में तय किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

24– एतदद्वारा **अभियुक्त चतुर्भुज शर्मा पुत्र काशीराम, उम्र 29 वर्ष, निवासी भानगढ़ पुलिस थाना जुई, जिला भिवानी, हरियाणा** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

25– अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

26– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन व वाहन संबंधी कागजात न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दिया गया है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। वाहन सम्बंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

27– निर्णय व आदेश आज दिनांक **05–05–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)।